

जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर, छ.ग.



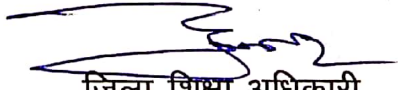
:: प्रमाण-पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है, कि - महानदी एजुकेशन सोसायटी चौबे कालोनी, रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.) पंजीयन क्रमांक 1862, दिनांक 24.02.1994 द्वारा संचालित शाला नाम कांगेर वैली एकेडमी डूमरतालाब रायपुर, जिला रायपुर छ.ग. को कक्षा नवमीं से बारहवीं तक नवीननीकरण विभागीय मान्यता (माध्यम-अंग्रेजी) पंजी अनुक्रमांक 3121..... दिनांक 27-6-2020 पर दिनांक 2020-21 से 2022-23 तक 03 वर्षों की अवधि के लिए अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है।

टीप:-

- (1) कक्षा पहली से कक्षा आठवीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18,19 एवं कक्षा नवमी से बारहवीं तक छ.ग. शिक्षा संहिता 10 नियम 125 में उल्लेखित मदों में शुल्क मान्य होगा।
- (2) स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) में मान्यता का क्रमांक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
- (3) छ.ग. माध्यामिक शिक्षा मण्डल के मान्यता नियम के शर्तों के पालन पश्चात ही अनुमति दी जावेगी।

डाईस कोड :- 22110402406


जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर (छ.ग.)



प्राकृतिक - तीन

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रायपुर (छ.ग.)



website-www.deoralpur.com, Email-deoralpurict@gmail.com, rmsaralpur@gmail.com
Phone No. - 0771-4002693

क्रमांक/मान्यता/नवीनीकरण/2020/ 3/21

रायपुर, दिनांक 27/6/2020

प्रति,

प्रबंधक/अध्यक्ष,

महानदी एजुकेशन सोसायटी, चौबे कालोनी, रायपुर, जिला-रायपुर(छ.ग.).

कांगेर वैली एकेडमी, झूमरतालाब, रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.) (माध्यम-अंग्रेजी)

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप-नियम (6) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

-----00-----

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख 22.06.2020 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण उपरांत मैं कांगेर वैली एकेडमी, झूमरतालाब, रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.) (माध्यम-अंग्रेजी) विद्यालय का नाम पता सहित) को शिक्षा सत्र 2020-21 से 2022-23 तक 03 वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी एवं पहली से कक्षा आठवी तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है :-

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवी के पश्चात् मान्यता/संबंधिता करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (परिशिष्ट-एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2012 (परिशिष्ट-दो) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा एक में (या यथा स्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
(एक) प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
(दो) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
(तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
(चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 25 अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
(पांच) अधिनियम के उपबन्धों च के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
(छ) अध्यापकों की भर्ती, अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जावेगी।
(सात) अध्यापक, अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

कृपया पृष्ठ पलटिये

(आठ) अध्यापक, स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

(नौ) भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-4 के अधीन विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित हो।

(दस) प्रतिवर्ष बच्चों से प्रभारित की जाने वाली फीस ऐसी रीति में अधिसूचित की जाए जो आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व निर्देशित की जाए तथा इसकी सूचना शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जाए।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय, अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

कुल निर्मित का क्षेत्र

खेल के मैदान का क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्या

प्रधानपाठक-सह-कार्यालय-सह भण्डार के लिए कक्षा

बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

तजपेयजल सुविधा

मध्याह्न भोजन पकाने हेतु रसोई

बाधारहित पहुंच

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद के उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता - उपलब्ध है।

9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आर्बिट्रिट मान्यता कोड संख्यांक नवीनीकरण 2020-3121 डाईस कोड 22110402406 है।
कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।
(1) कक्षा आठवीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 (ख) एवं कक्षा नवमी से बारहवीं तक छत्तीसगढ़ शिक्षा संहिता अध्याय 10 नियम 125 में उल्लेखित शुल्क मान्य होगा।
(2) स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) में मान्यता का क्रमांक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
(3) पालक समिति द्वारा अनुमोदित शाला शुल्क 01 माह के भीतर जमा करने की शर्त पर
18. मान्यता, अधिनियम की धारा 18 के अधीन नवीनीकरण के अधधीन रहेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी

रायपुर (छत्तीसगढ़)

रायपुर, दिनांक 27/6 /2020

पृष्ठां.क्रमांक/मान्यता/नवीनीकरण/2020/8122

प्रतिलिपि :-

1. जिला मिशन समन्वयक, जिला परियोजना कार्यालय, राजीव गांधी शिक्षा मशीन, रायपुर, (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी धरसीवा, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ।
2. प्राचार्य/नोडल, अधिकारी शास.उ.मा.वि. जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी

रायपुर (छत्तीसगढ़)